सिविल मिसलेनियस

न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और एस.एस. संधावालिया के समक्ष

होशियार सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्यऔर दूसरे-प्रतिवादी।

1968 की सिविल रिट संख्या 2102।

4 फ़रवरी 1970.

जांच आयोग अधिनियम (एलएक्स ऑफ) 1952)- *अनुभाग* 3- *किसी घटना के संबंध में लंबित आपराधिक मुकदमा - ऐसे मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसी मामले के बारे में जांच आयोग की नियुक्ति - क्या उचित है - जांच - क्या मुकदमा पूरा होने तक रोका जाना चाहिए।*

आयोजित, किसी घटना के संबंध में आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सरकार द्वारा उस मुकदमे से संबंधित घटनाओं से संबंधित मामले में जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत समानांतर जांच नहीं की जा सकती है। यदि एक जांच अधिकारी जिन मामलों की जांच करने जा रहा है और जो मामले अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित हैं, वे समान है□ या कमोबेश एक जैसे हैं, तो वही मामले अदालत के समक्ष होने के बावजूद जांच करना अवमानना माना जाएगा। . इसलिए यह उचित नहीं है कि आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसी मामले के बारे में जांच आयोग नियुक्त किया जाए। इस तरह की जांच को मुकदमा पूरा होने तक रोक दिया जाना चाहिए (पैरा 3 और 4)

मामला*21 अक्टूबर को माननीय श्री न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर द्वारा संदर्भित,* 1969 *मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक डिवीजन बेंच को। मामले का निर्णय अंततः 4 फरवरी को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. संधवालिया की खंडपीठ द्वारा किया गया।* 1970.

अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिका 226/227 काभारत के संविधान में प्रार्थना की गई है कि दिनांकित अधिसूचना को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए12 जून, 1968 नहीं। 49(68)-2 जेजे-68/14465 प्रतिवादी संख्या द्वारा जारी किया गया 1 जांच आयोग की नियुक्ति और उसके तहत जांच आयोग द्वारा की गई कार्यवाही और प्रतिवादी सं. 2 होनिर्देशित नहींटीजांच को आगे बढ़ाने या किसी अन्य चीज के माध्यम से ऐसा कुछ भी करना जिससे आपराधिक मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई में हस्तक्षेप हो, जब तक कि ■ आपराधिक मामला अंतिम रूप से समाप्त न हो जाए फैसला कियासक्षम न्यायालयों द्वारा.

हरबंस सिंह गुजराल और वि एम जेन, वकील, याचिकाकर्ता के लिए.

जी. एस.चावला , ए जी(हरियाणा) के वकील, एच आर अग्रवाल, उत्तरदाता 3 के वकील

प्रलय

न्यायमूर्ति महाजन — यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका है और हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 49 (68)2-जेजे- 68/14465, दिनांक 12 जून, 1968 के विरुद्ध निर्देशित है। (न्यायिक विभाग)। यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों में है:-

> "जबकि बताया गया है कि दिनांक 21 मई 1968 को एक पुलिस पार्टी दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 100 के तहत मुख्य द्वारा जारी एक वारंट की तामील हेतु ग्राम टीकला थाना बावल, जिला गुड़गांव गई थी। श्रीमती अंचाई की बरामदगी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़गांव, पुलिस पार्टी और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसके दौरान गोलीबारी के परिणामस्वरूप दो लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए और बस संख्या आरजेके-3187, जिसमें पुलिस पार्टी ले जा रही थी, उसमें भी आग लगा दी गई;
>
> और जबकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि गोलीबारी की उक्त घटना सार्वजनिक महत्व का मामला है और इसकी जांच कराना आवश्यक है;
>
> इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव को नियुक्त करते हैं।निम्नलिखित मामलों के संबंध में जांच करने के उद्देश्य से जांच आयोग: -

1. घटनाओं के अनुक्रम और उन कारणों पर विचार करने के लिए जिनके कारण गांव टिकला, पुलिस स्टेशन, बावल में बस संख्या आरजेके-3187 में गोलीबारी और आग लगा दी गई।
2. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया बल उचित था।" ए

उससे पहले, 21 मई, 1968 को, निम्नलिखित पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी: -

> "आज सुबह, मैं गार्ड के सदस्य के रूप में सरदार अबनाशी सिंह, एस.आई., एस.एच.ओ. के साथ था। एमएसटी की बरामदगी हेतु थाना बावल पुलिस द्वारा गांव टीकला। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत वारंट की तामील में ग्राम हरसोही निवासी मूलचंद जाट की पुत्री अंचाई को गिरफ्तार किया गया। एस.एच.ओ. विधिवत एमएसटी वसूल की गई। ग्राम टीकला निवासी जागे राम पुत्र हर लाई जाति जाट के घर से आज सुबह करीब 5 बजे ओरही निवासी भगवान सिंह व होशियार सिंह की मौजूदगी में अंचाई हुई। जैसे ही हम महिला (सुश्री अंचाई) के साथ गांव से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर पहुंचे, गांव के कई लोग हथियारों से लैस होकर *लाठियाँ, जेलियाँ, बालम, फरा और बाँकरियाँ* पुलिस पार्टी को घेरकर हमला कर दिया। भीड़ में एमएसटी की सास भी शामिल थी। अंचई, माता दीन, पूरण, जागे राम, भाजी और हरि सिंह, गांव टीकला निवासी और कई अन्य व्यक्ति। अमर सिंह, जगे और माता दीन ने कहा, "पुलिस दल को पकड़ो, उन्हें मार डालो, महिला को ले जाओ, निकटवर्ती गाँव पूरनपुर और शाहपुर के निवासियों को सूचना भेजो,

वे हमारी मदद के लिए आएं और वे हमारी मदद करेंगे।" एमएसटी की अनुमति नहीं अंचाई को ले जाया जाएगा।" इस पर एस.एच.ओ. उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि (पुलिस) एमएसटी की बरामदगी के लिए आई थी। वारंट के निष्पादन में अंचाई और उन्हें (भीड़ को) पुलिस को उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन वे पुलिस पार्टी पर पत्थरों और डंडों से हमला करते रहे. जैसे ही पुलिस पार्टी थोड़ा आगे बढ़ी. गांव पूरनपुर निवासी चंदगी राम, शिव करन और हीरा सिंह, गांव शाहपुर निवासी प्रभु और सूरत सिंह तथा कई अन्य लोग हथियारों से लैस थे। *खराद* और *जेली,* वह थोर आया और बचाने के लिए चिल्लाया। "आप किस का इंतजार कर रहे हैं ? पुलिस वालों को पकड़ो, थानेदार को मारो. (*thanedar*) और कांस्टेबल। हम सामना करेंगेपरिणाम। यह हमारे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल हैचौरासी" उन्हें एम.एस.टी. अंचाई को पुलिस पार्टी से रिहा कर दिया गया, वे मुश्किल से लगभग 10/11 कदम की दूरी तक गए थे जब पुलिस पार्टी ने महिला को उनके पास से वापस ले लिया। तभी गांव के कई निवासियों ने, जिनकी संख्या बढ़कर 300/350 लोगों तक पहुंच गयी थी, मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया. *खराद* और *जेली* और एस.एच.ओ. को घायल कर दिया। और पुलिस अधिकारी. इस पर एस.एच.ओ. पुलिस पार्टी को रवाना होने का आदेश दिया *लाठी* आत्मरक्षा में आरोप लगाओ और गोली चलाओ। गांव टीकला, पूरनपुर और शाहपुर के निवासियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और बस संख्या आरजेके-3187, जो पुलिस पार्टी को मौके पर ले जा रही थी, के साइड के शीशे पत्थर, कंडे फेंककर तोड़ दिए। *लाठी* मारपीट की और उसके बाद आग लगाकर बस को जला दिया। बस का ड्राइवर कन्हिया और कंडक्टर प्रह्लाद भाग गये। एस.एच.ओ. स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए मुझे पुलिस स्टेशन जाने और वहां मामले की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया ताकि पुलिस बल आ सके।"

2. यह याचिका 27 अक्टूबर, 1969 को शमशेर बहादुर, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आई और विद्वान न्यायाधीश ने महसूस किया कि मामला पर्याप्त महत्व का है और इसका निर्णय एक डिवीजन बेंच द्वारा किया जाना चाहिए; इस प्रकार मामला हमारे सामने रखा गया है।
3. संक्षिप्त प्रश्न, जो निर्धारण के लिए उठता है, वह यह है कि क्या किसी आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सरकार द्वारा उस मुकदमे से जुड़ी घटनाओं से संबंधित मामले की समानांतर जांच की जा सकती है। श्री एच.एस. जहां तक गुड़गांव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच का आदेश देने वाली अधिसूचना का सवाल है, याचिकाकर्ता के वकील गुजराल ने अपना मामला छोड़ दिया है। उनका एकमात्र तर्क यह है कि जांच मुकदमा खत्म होने के बाद होनी चाहिए क्योंकि जांच मुकदमे के संचालन में हस्तक्षेप करेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ आक्षेपित अधिसूचना में जांच अधिकारी के संदर्भ की शर्तों से यह प्रतीत होगा कि जांच अधिकारी और न्यायालय को व्यावहारिक रूप से एक ही मामले का निर्धारण करना है। यही कारण है कि मैंने अधिसूचना और प्रथम सूचना रिपोर्ट को विशेष रूप से पुन: प्रस्तुत किया है। बात ये नहीं है *रेस इंटीग्रा.* इस मुद्दे पर सीधा असर पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का है *राजा* में। *परमानन्द एवं अन्य* (1). इस मामले में यह माना गया कि- ,

> "किसी मामले के संबंध में कोई पूछताछ जो है *न्यायाधीश के अधीन* सम और सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैन्याय। यह मुख्य सिद्धांत है कि जब कोई मामला न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हो तो ऐसा कुछ भी नही किया जाना चाहिए जिससे न्याय की स्वतंत्र प्रक्रिया बाधित हो और यह न्यायालय किसी भी कार्यकारी अधिकारी के किसी भी प्रयास को खारिज कर देगा, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। हो सकता है, किसी मामले की योग्यता पर पूर्वाग्रह से निर्णय लिया जाए और उस न्यायालय के कार्यों को छीन लिया जाए जिसने मामले को अपने हाथ में ले लिया है।"

इस फैसले के बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डी. *जोन्स शील्ड* में। *एन. रामेसम और अन्य* (2). ऐसे मामलों में नियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय में पाया जाना चाहिए *आर्थर रेजिनाल्ड परेरा और द किंग* (3). महान लॉर्ड्स ने, इस सवाल से निपटते समय कि क्या प्रकाशित कोई भी कार्य या लेख न्यायालय की अवमानना होगा, ने कहा-

> "इसमें किसी न्यायालय या न्यायालय के न्यायाधीश को अवमानना में लाने या उसके अधिकार को कम करने के लिए किया गया कोई कार्य या प्रकाशित लेखन शामिल होना चाहिए, या न्याय के उचित पाठ्यक्रम या अदालतों की वैध प्रक्रिया में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। ।"

इन टिप्पणियों को पी.वी. में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा अपनाया गया था। *जगन्नाथ राव और अन्य* में। *उड़ीसा राज्य और अन्य*(4). इसलिए, किसी मामले को इस नियम के दायरे में आने से पहले वास्तव में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या वह मामला जिसकी जांच अधिकारी जांच करने जा रहा है और जो अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है, वह एक ही है या एक ही जैसा। यदि ऐसा है, तो वही मामला न्यायालय के समक्ष होने के बावजूद जांच करना अवमानना के समान होगा। जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, मैं पहले ही देख चुका हूं कि जांच का दायरा और मुकदमे का दायरा कमोबेश एक ही है और इसलिए, अगर जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह अवमानना के समान होगा न्यायालय के.

2. मैं, आगे बढ़ता हूं, अब विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में उद्धृत मामलों से निपटता हूं।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील पर भरोसा किया गया*Ram Krishna .Dafimia* में। *जस्टिस तंडोलकर* (5). इस मामले से निपटने के दौरान *पी.वी.जगन्नाथ राव का मामला* (4)*(सुप्रा)* सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने कहा कि 'जाँच को न्यायिक जाँच के रूप में नहीं देखा जा सकता है और अंततः पारित आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है *अपनी ताकत.* इसलिए, आयोग द्वारा की गई पूछताछ और जांच, कानून की अदालतों के कार्य को हड़पने के समान नहीं है। कानून की अदालतों और जांच आयोग द्वारा मुकदमे का दायरा पूरी तरह से अलग है।' इन टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यदि जांच का दायरा और दायरा अदालत की शक्तियों को हड़पना था, तो यह

शरारत के दायरे में आएगा। में निर्धारित नियम *परमानंद का मामला*(1), लेकिन यदि ऐसा होता, तो मामला नियम के अंतर्गत आ जाता *राम कृष्ण डालमिया का मामला (सुप्रा)* (5). में निर्णय *पी. वी. जगन्नाथ राव और अन्य का मामला*(4) उत्तरदाताओं द्वारा इस प्रस्ताव पर भरोसा किया गया था कि जांच और परीक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस विवाद का कोई औचित्य नहीं है *जगन्नाथ राव का मामला* (4). उनके आधिपत्य ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि जांच उन मामलों के संबंध में नहीं थी जो मुकदमे और पहली अपील का विषय-वस्तु थे। इस प्रकार यह निर्णय, किसी भी तरह से, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन नहीं करता है।

3. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि मुकदमा समाप्त होने तक जांच रोक दी जानी चाहिए, मान्य होनी चाहिए। विद्वान वकील ने याचिका में अपनी दलील दी है कि अधिसूचना रद्द कर दी जानी चाहिए और यह सही भी है। अधिसूचना में उल्लिखित मामलों की जांच करने से सरकार को कोई रोक नहीं सकता है, जब तक कि वे ऐसे परिणाम की ओर न ले जाएं जिससे हम इस आदेश से बचना चाहते हैं।
4. ऊपर दर्ज कारणों से, इस याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और यह निर्देशित किया जाता है कि परीक्षण समाप्त होने के बाद जांच आगे बढ़नी चाहिए और तब तक इस पर रोक रहेगी। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

न्यायमूर्ति एस. एस.संधवलिया-मैं सहमत हूं.

अस्वीकरण : **स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

जैस्मिन प्रीत कौर

पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत, **हरियाणा**